फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छीतर पिता खेमा रेगर निवासी शक्करगढ़ वगैरह

बनाम

प्रभू पिता किशन रेगर निवासी शक्करगढ़ वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 142/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम शक्करगढ़ कला प.ह. शक्करगढ़ आराजी सं. 1686 कुल किता 01 रकबा 3.2941 हेक्टेयर भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यक्ता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है । ग्राम शक्करगढ़ कला प.ह. शक्करगढ़ आराजी सं. 1686 कुल किता 01 रकबा 3.2941 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है । कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें । पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें । **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें । आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जहाजपुर (शाहपुरा)	

फर्द अहकाम

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/142/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय – प.सं. 142 / 2024 अनवान छीतर पिता खेमा रेगर निवासी शक्करगढ, मुकेश पिता गोपी रेगर निवासी शक्करगढ, सम्पत पिता कालू रेगर निवासी शक्करगढ, मोहन पिता केला रेगर शक्करगढ, गीता पुत्री भोजा रेगर निवासी शक्करगढ, शंकर पिता केला रेगर निवासी शक्करगढ बनाम प्रभू पिता किशन रेगर निवासी शक्करगढ, छोटू पिता गोकल रेगर निवासी शक्करगढ, घनश्याम पिता नारायण रेगर निवासी शक्करगढ, कैलाश पिता खाना रेगर निवासी शक्करगढ, गोपाल पिता श्रीकिशन निवासी शक्करगढ, जगदीश पिता श्रीकिशन निवासी शक्करगढ, जयलाल पिता राना रेगर श्रीकिशन निवासी शक्करगढ, मथुरा पिता राना रेगर श्रीकिशन निवासी शक्करगढ, किशना पिता उदा रेगर श्रीकिशन निवासी शक्करगढ, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बावत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम शक्करगढ कला प.ह. शक्करगढ आराजी सं. 1686 कुल किता 01 रकबा 3.2941 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर, जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner